भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3337
दिनांक 6.8.2002 को उत्तर के लिए

राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

3337 श्री शिवाजी मानेः

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर कोई कार्रवाई की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामले जानकारी में आए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई0डी0 स्वामी)

(क) तथा (ख) राजभाषा विभाग प्रति वर्ष एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें उस वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों और उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपायों का उल्लेख किया जाता है । वर्ष 1999-2000 की मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 16.04.2002 को लोकसभा के पटल पर रखी गयी । इसके अतिरिक्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से समय-समय पर ध्यान में आई कमियों के बारे में संबंधित विभागों को बताया जाता है और सुधार करने को कहा जाता है । प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा राजभाषा नीति संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे । सरकार का यह भी सुविचारित मत है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से बढ़ाया जाए ।